राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ.1(2)(85)/मअ/स्था/2015/ 23313–345 जयपुर, दिनांक : 26/7/21

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,
....

विषयः–अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आवेदन पत्र वेबसाईट/पोर्टल पर ऑनलाईन के संबंध में।

संदर्भः–संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) की आज्ञा दिनांक 06.07.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) राजस्थान जयपुर की आज्ञा दिनांक 06.07.2021 के द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध दिनांक 14.07.2021 से 14.08.2021 तक छूट प्रदान की गई है। उक्त अवधि में निम्न शर्तों की पालना करने के निर्देश दिये हैंः–

1. राज्य में कोविड–19 की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए स्थानान्तरण के लिए आवेदन का प्रार्थना पत्र विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर Online ही स्वीकार किया जावेगा। इस बाबत् कोई भी आवेदक कार्यालय आदि में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा।

चूंकि विभागीय वेबसाईट या पोर्टल पर इस संबंध में कोई स्वतंत्र सुविधा विद्यमान नहीं है। अतः स्थानान्तरण के इच्छुक कार्मिक स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी पर उलब्ध राजकाज विकल्प के द्वारा Online स्थानान्तरण आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2021 दोपहर 12:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरण के प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को प्रतिदिन अपरान्ह 04:00 बजे तक विभागाध्यक्ष को Online अग्रेषित करेंगे।

यह आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र है, स्थानान्तरण का अधिकार नहीं है।

उक्त कार्य की मोनेटरिंग हेतु श्री रामचन्द्र गुर्जर, प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन को नोडल अधिकारी एवं श्री सुरेश चौधरी, सूचना सहायक को सह नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांकः– एफ.1(2)(85)/मअ/स्था/2015/ 23346–47 जयपुर, दिनांक : 26/7/21

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.